बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

पत्रांक : 09/बि0वि0प0स0–17/2024–333 पटना, दिनांक 20/01/2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय :–वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम "विशेष वर्ग कक्ष एवं मासिक परीक्षा/छात्रों एवं शिक्षकों के लिए परीक्षा" अंतर्गत राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की माह नवम्बर 2025 तक ली गई मासिक/सावधिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों एवं उत्तर–पुस्तिकाओं के मुद्रण एवं आपूर्ति पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति करने हेतु ₹28,29,02,149/–(अठाईस करोड़ उन्नतीस लाख दो हजार एक सौ उन्नचास) की स्वीकृति एवं व्यय की विमुक्ति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

राज्य के विद्यार्थियों को गुणवता पूर्ण शिक्षा प्राप्त कराने के लिए विद्यार्थियों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। उक्त को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2023–24 के माह सितम्बर 2023 से प्रतिमाह निर्धारित समय तालिका के अनुसार राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा–9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु मासिक परीक्षा प्रतिमाह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाऐं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा विद्यालयों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को की जायेगी।

2. उक्त निर्णय के आलोक में राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा–9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों की मासिक परीक्षा विभाग द्वारा निर्धारित परीक्षा कैलेण्डर अनुसार ली गई है। उक्त परीक्षाओं के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा वर्गवार/संकायवार प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण कराकर प्रत्येक जिला में अवस्थित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया है। प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मुद्रण एवं आपूर्ति पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा किया जाना है।

3. राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा–09वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की मासिक/सावधिक परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली गई है। विभागीय निर्णय के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023–24 के माह सितम्बर से शैक्षणिक सत्र 2025–26 के माह नवम्बर तक कक्षा–09वीं से 12वीं की मासिक/सावधिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका का मुद्रण कराकर सभी जिलों में अवस्थित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया है। इस कार्य में समिति द्वारा कुल ₹1,97,39,70,349/–(एक अरब संतान्बे करोड़ उन्नतालीस लाख सत्तर हजार तीन सौ उन्नचास) व्यय किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा व्यय की गई राशि के सापेक्ष ₹83,88,43,688/–(तिरासी करोड़ अठासी लाख तैंतालीस हजार छः सौ अठासी) की प्रतिपूर्ति शिक्षा विभाग द्वारा करा दी गई है। शेष ₹1,13,51,26,661/–(एक अरब तेरह करोड़ एक्यावन लाख छब्बीस हजार छः सौ एकसठ) की प्रतिपूर्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की जानी है।

4. (1) योजना के स्वीकृत राशि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के निस्ताराधीन होगी तथा राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मा0शि0), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा नया सचिवालय, विकास भवन, पटना स्थित कोषागार से विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए की जायेगी। तत्पश्चात CFMS के माध्यम से राशि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के खाता संख्या–00030100037646 IFSC Code-BARB0PATNAX, BANK NAME- BANK OF BARODA, BRANCH- PATNA MAIN BRANCH में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से उपलब्ध करायेगी।

5. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि ₹1,13,51,26,661/–(एक अरब तेरह करोड़ एक्यावन लाख छब्बीस हजार छः सौ एकसठ) के सापेक्ष विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–98 दिनांक 16.06.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹1,37,97,851/–(एक करोड़ सैतीस लाख संतान्बे हजार आठ सौ एक्यावन) की स्वीकृति दी गई है।

6. वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹28,29,02,149/–(अठाईस करोड़ उन्नतीस लाख दो हजार एक सौ उन्नचास) का विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–02 माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0101–माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, विपत्र कोड–21– 2202–02–001–0101 के विषय शीर्ष–28.05–परीक्षा संबंधी व्यय मद में उपलब्ध राशि से किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹29,67,00,000/–(उन्नतीस करोड़ सड़सठ लाख) का उद्व्यय एवं उपबंध प्राप्त है।

7. राशि की निकासी वित्त विभागीय आदेश संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में की जायेगी।

8. उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प संख्या 12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–2 (क) के आलोक में प्रदान की जाती है।

9. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–09/बि0वि0प0स0–17/2024 के टिप्पणी भाग पृष्ठ संख्या–44/टि0 पर प्राप्त है।

12. स्वीकृत्यादेश पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार का अनुमोदन संचिका संख्या 09/बि0वि0प0स0–17/2024 के टिप्पणी भाग पृष्ठ संख्या–49/टि0 पर प्राप्त है।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, वित्त विभाग, बिहार का अनुमोदन संचिका संख्या 09/बि0वि0प0स0–17/2024 के टिप्पणी भाग पृष्ठ संख्या–54/टि0 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञांपाक : 09 / बि0वि0प0स0–17 / 2024........ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञांपाक : 09 / बि0वि0प0स0–17 / 2024........ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / अपर सचिव, शिक्षा विभाग / निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति / बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / सहायक निदेशक योजना एवं अनुश्रवण, शिक्षा विभाग / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा / शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, पटना मेन ब्रांच / CFMS के नोडल पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / विभागीय लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञांपाक : 09 / बि0वि0प0स0–17 / 2024–333 पटना, दिनांक 20/01/2026

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 20.1.26

उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।